

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-7) विभाग


क्रमांक : प.7(1)गृह-7 / 2021

जयपुर, दिनांक : 01.09.2021

आदेश

विषय: प्रदेश के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के एथलिटों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण हेतु स्विमिंग पूल को खोलने के सम्बन्ध में।


प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गये प्रतिबंधों में वर्तमान स्थितियों के आंकलन के आधार पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2021 त्रिस्तरीय जन-अनुशासन मॉडिफाईड लॉकडाउन दिशा-निर्देश 2.0 अनुसार खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों को अनुमत किया गया है इसी क्रम में प्रदेश के समस्त राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के एथलिटों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण हेतु स्विमिंग पूल्स कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 01.09.2021, सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा।

  
(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

  
(सुरेश गुप्ता)  
शासन सचिव, गृह